

प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

ग्राम पंचायत.....मार्फत् ग्राम सचिव।

विषय:-

ग्राम पंचायत की भूमि पर गांव के निवासी द्वारा 31मार्च, 2004 से पूर्व बनाए गए अनाधिकृत मकान की भूमि को नियमानुसार नियमित करवाने बारे।

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी गांव.....
खण्ड.....जिला.....का रहने वाला हूँ। मेरा मकान ग्राम पंचायत की भूमि पर वर्ष 2004 से पूर्व बना हुआ है। इस भूमि की जमाबंदी अनुसार ग्राम पंचायत मालिक है। अब सरकार की नीति अनुसार जिस व्यक्ति विशेष का 31मार्च, 2004 से पूर्व पंचायत की भूमि पर मकान बना हुआ है, उस भूमि की कीमत वर्ष 2004 के कलैक्टर रेट के 1.5 गुणा के बराबर राशि ग्राम पंचायत को अदा करके महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा की अनुमति से नियमित किया जा सकता है।

श्रीमान् जी मेरा मकान पंचायत की भूमि पर वर्ष 2004 से पूर्व खसरा नम्बरमें कुलवर्गगज भूमि पर बना हुआ है। इसमें से कुल वर्गगज क्षेत्र निर्मित है और वर्गगज क्षेत्र अनकवर्ड/खुला है। खुला क्षेत्र निर्मित क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है। मैं यह भूमि वर्ष 2004 के कलैक्टर रेट के 1.5 गुणा के बराबर की कीमत पंचायत का अदा करने के लिए तैयार हूँ।

अतः आपसे अनुरोध है कि मैंने मकान के अधीन उक्त वर्णित भूमि को नियमानुसार नियमित करवाने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद।

दिनांक:-

संलग्न:-

- 1-वर्ष 2004 से पूर्व कब्जा वाले मकान का सबूत जैसे बिजली पानी कनेक्शन आदि।
- 2-निशानदेही रिपोर्ट।
- 3-नक्शा (अक्स सिजरा)।
- 4-जमाबंदी वर्ष 2004 व नवीनतम तथा गिरदावरी।
- 5-मकान के फोटोग्राफ्स।
- 6-आधार कार्ड/वॉटर कार्ड या अन्य।

प्रार्थी

नाम:-

पता:-

मोबाईल नं०:-